रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 434] नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 23, 1972/आश्विन 1, 1894

No. 434] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 23, 1972/ASVINA 1, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF LABOUR AND REHABILITATION

(Department of Labour and Employment)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th September 1972

S.O. 633(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby appoints the 1st day of October, 1972 as the date on which the provisions of Chapter IV (except sections 44 and 45 which have already been brought into force) and Chapter V and VI (except sub-section (1) of section 76 and sections 77, 78, 79 and 81 which have already been brought into force) of the said Act shall come into force in the following areas in the State of Andhra Pradesh, namely:—

"The areas within the Municipal limits of Hindupur and within the limits of the Revenue villages of (a) Kirikera, (b) Bevinahalli, (c) Moda, (d) Kodigenahalli, (e) Kotnur, (f) Sreekantapuram, (g) Cholasamudram, and (h) Pulamati, in Anantapur District."

[No. S-38013/11/71-HI I.]

D. S. NIM, Jt. Secy.

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय

(श्रम और रोजगार विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 सितम्बर, 1972

का० आ० 633(अ).—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा अक्तूबर, 1972 के प्रथम दिन को उस तारीख के रूप में नियत करती है जिसको उक्त अधिनियम के अध्याय 4 (धारा 44 और 45 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है) और अध्याय 5 और 6 (धारा 76 की उपधारा (1) और धारा 77, 78, 79 और 81 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है) उपबन्ध आन्ध्र प्रदेश राज्य के निम्नलिखित क्षेत्रों में प्रवृत्त होंगे, अर्थात् :—

> "हिन्दुपुर की नगर पालिका सीमा के अन्तर्गत तथा अनन्तपुर जिले में (क) कोरोकेरा (ख) बेवोनाहल्ली (ग) मोडा (घ) कोडोजेनाहली (ङ) कोटपुर (च) श्री कान्तपुरम (छ) चोलासमुद्रम और (ज) पुलामति राजस्व ग्रामों की सीमा के अन्तर्गत क्षेत्र ।"

[सं० एस-38013(11)/71-एच आई]

डी० एस० निमि, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972